न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़
हरिसिंह V/s भूमिधारी वगै० मु० नं० 29/2017

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16/05/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/✓ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.05.18 को पेश हो।	
21/05/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र, ढाणी गुमान सिंह में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त अनुतोष प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।	
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं भूमिधारी तहसीलदार बहरोड़ के जवाब का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार बहरोड़ ने प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष अनुसार कार्यवाही किये जाने की अभिशंषा की है अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाना है कि :-	
निर्णय	
तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील बहरोड़ अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 1748 रकबा 0.35 है० में से 0.05 है०, ख०नं० 1746 रकबा 0.31 है०, ख०नं० 1746/1 रकबा 0.28 है० में से 0.06 है०, ख०नं० 1738 रकबा 0.69 है० में से 0.04 है० कुल 0.15 है० भूमि	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	उक्त ख.नं. से कम की जाकर ख.नं. 1747 रकबा 0.81 है० में उक्त रकबा 0.15 है० जोड़ते हुए ख.नं. 1747 रकबा 0.96 है० राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। ख०नं० 1739 रकबा 0.34 है० में से 0.04 है० रकबा कम किया जाकर ख.नं. 1857 रकबा 0.33 है० में उक्त रकबा 0.04 है० जोड़ते हुए ख.नं. 1857 रकबा 0.37 है० राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजी एवं अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम सुनाया गया।
	भागीरथ [illegible] उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)